निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 ज्येष्ठ 1946 (श0)

(सं0 पटना 501) पटना, मंगलवार, 11 जून 2024

सं० 27 / आरोप–01–72 / 2021–7836 / सा0प्र0
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना
16 मई 2024

श्री राजीव रंजन प्रकाश, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1130 / 11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, इस्लामपुर के विरूद्ध ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक–6413, दिनांक 24.07.2009 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' की प्रति तामिला कराते हुए ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना में स्पष्टीकरण समर्पित करने का अनुरोध किया गया। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–9313, दिनांक 16.09.2009 से श्री प्रकाश से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

पुनः ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना के पत्रांक 9030, दिनांक 07.10.2009 द्वारा श्री प्रकाश के विरूद्ध पूरक आरोप प्रपत्र 'क' की प्रति उपलब्ध कराते हुए उसे भी श्री प्रकाश को तामिला कराने एवं स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में श्री प्रकाश को निदेशित करने के साथ–साथ श्री प्रकाश के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के बिन्दु पर इस विभाग से अपेक्षित निदेश देने का अनुरोध किया गया था। उक्त के आलोक में विभागीय पत्रांक–1052, दिनांक 01.02.2010 द्वारा श्री प्रकाश से आरोप प्रपत्र 'क' एवं पूरक आरोप प्रपत्र 'क' के आलोक में स्पष्टीकरण की मांग की गयी। साथ ही साथ विभागीय पत्रांक–1046, दिनांक 28.01.2011 द्वारा जिला पदाधिकारी, नालंदा से इस मामले में जांचोपरान्त प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध किया गया।

श्री प्रकाश, के विरूद्ध प्रखंड विकास पदाधिकारी, इस्लामपुर, के रूप में पदस्थापन काल में इंदिरा आवास योजना में प्रतीक्षा सूची के क्रम को तोड़कर तथा सरकार के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए अयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को आवास आवंटित करने का आरोप प्रतिवेदित है।

श्री प्रकाश से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक–3729, दिनांक 05.04.2011 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग बिहार, पटना से कंडिकावार मंतव्य की मांग की गयी। स्मारोपरान्त जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक–5235, दिनांक 14.08.21 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें श्री प्रकाश के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य बताया गया है। समीक्षोपरान्त श्री प्रकाश के विरूद्ध विभागीय स्तर पर आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पत्रांक–16255 दिनांक 21.12.2021 द्वारा श्री प्रकाश से स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

स्मारोपरान्त श्री प्रकाश का स्पष्टीकरण दिनांक 05.11.2022 प्राप्त हुआ, जिसमें उनका कहना है कि लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, नालंदा द्वारा तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, इस्लामपुर को दोषी नहीं पाया गया है। श्री अजय कुमार सिन्हा, तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता, हिलसा एवं

श्री सुजीत कुमार, कार्यपालक दंडाधिकारी, हिलसा द्वारा जिला पदाधिकारी, नालंदा को भेजे गया संयुक्त जांच प्रतिवेदन में भी तत्कालीन पंचायत सचिव तथा पर्यवेक्षक को दोषी पाया गया है। इसमें तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस्लामपुर को दोषी नहीं पाया गया है। स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु कागजात उपलब्ध कराने की मांग की गयी थी, जो उपलब्ध नहीं करायी गयी। उपलब्ध कागजात के आधार पर वे अपना स्पष्टीकरण समर्पित कर रहे हैं।

श्री प्रकाश द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक 23382 दिनांक 27.12.2022 द्वारा पुनः ग्रामीण विकास विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। स्मारोपरान्त ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 2727217 दिनांक 10.04.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी, नालंदा से प्राप्त मंतव्य से सहमत होते हुए उक्त मंतव्य की प्रति इस विभाग को उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें बताया गया है कि इंदिरा आवास आवंटित करने में लाभार्थियों की स्थलीय जांच नहीं की गयी है। पक्का मकान उपलब्ध होने के बावजूद लाभार्थियों को इंदिरा आवास आवंटित किया गया है। यदि प्रतीक्षा सूची में कोई लाभार्थी स्थायी रूप से बाहर चला गया हो तो उसको छोड़कर ऐसे लाभार्थी को इंदिरा आवास आवंटित किया जाना चाहिए था, जो इसके लिए वांछित पात्रता रखते हों, किन्तु ऐसा नहीं किया गया। पंचायत सचिव ने लाभार्थियों का चयन घर–घर जा कर नहीं बल्कि मनमाने ढंग से सूची तैयार की थी। जिसकी जांच पर्यवेक्षीय पदाधिकारी द्वारा नहीं की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा द्वारा जिला पदाधिकारी नालंदा को भेजे गये जांच प्रतिवेदन में अंकित किया है कि इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी दोषी प्रतीत होते हैं। इस प्रकार श्री प्रकाश के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं बताया गया है।

श्री प्रकाश के विरूद्ध प्रतिवेदित आरापों, समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी, नालंदा द्वारा समर्पित मंतव्य जिसपर ग्रामीण विकास विभाग की सहमति प्राप्त है, की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि श्री प्रकाश को विभागीय पत्रांक 21095 दिनांक 28.11.2022 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु कागजात उपलब्ध करा दी गयी थी। जिला पदाधिकारी, नालंदा के पत्र में उन अभिलेखों का विवरण भी अंकित किया गया है, जो अभिलेख इस विभाग द्वारा श्री प्रकाश को भेजे गये हैं। उन अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोप पत्र के साथ संलग्न साक्ष्य के अतिरिक्त उन्हें पर्याप्त पूरक साक्ष्य सामग्री उपलब्ध करायी गयी है, ताकि वे अपना स्पष्टीकरण समर्पित कर सकें। अतः श्री प्रकाश का यह कहना कि वांछित कागजात उन्हें उपलब्ध नहीं कराये गये थे, औचित्यहीन है। इंदिरा आवास आवंटन में कम अंक प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को इंदिरा आवास का आवंटन न कर अधिक अंक प्राप्त करने वाले का आवास का आवंटन कर दिया गया है तथा वांछित पात्रता नहीं रखने वाले लाभार्थियों को आवास का आवंटन किया गया। पंचायत सचिव, पनहर पंचायत, श्री अवधेश कुमार ने लिखित रूप से स्वीकार किया है कि उनके द्वारा लाभुकों का चयन करने में घर–घर जा कर सर्वे नहीं किया गया है। अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा के जांच प्रतिवेदन में भी इंदिरा आवास आवंटन में अनियमितता बरते जाने का उल्लेख किया गया है। आरोपित पदाधिकारी का यह दायित्व था कि लाभार्थियों की प्राप्त सूची का स्वयं के स्तर पर भौतिक सत्यापन कर योग्य/वांछित पात्रता प्राप्त लाभार्थियों को इंदिरा आवास का आवंटन सुनिश्चित करते, परन्तु श्री प्रकाश द्वारा ऐसा नहीं किया गया। इस प्रकार श्री प्रकाश के स्पष्टीकरण को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकार करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत **(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2008–09) (ii) दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड विनिश्चित किया गया है।**

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राजीव रंजन प्रकाश, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक 1130/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, इस्लामपुर के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) के नियम–14 के संगत प्रावधानों के तहत **(i) निन्दन (आरोप वर्ष 2008–09) (ii) दो वेतनवृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।**

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
रविन्द्र नाथ चौधरी,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण)501-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in